अति आवश्यक–PMAY-G

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36) ग्राविवि–5/सां./District Information/2018–19 दिनांक 05 मार्च, 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियो की पहचान कर पात्र चिन्हित परिवारों का विवरण''आवास प्लस ऐप'' पर अपलोड किये जाने के क्रम मे।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.19, एवं 28.02.19।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) Dated 8-02-2019 के द्वारा स्थाई वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र परिवारों का विवरण ''आवास प्लस ऐप'' पर दर्ज किये जाने की अवधि दिनांक 30.11.18 से बढा कर दिनांक 7.3.19 या आदर्श आचार संहिता लागू होने तक निर्धारित की गई है।

विभागीय प्रासांगिक पत्र दिनांक 13.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची में पात्र व्यक्तियों को नाम जोडे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में जिला स्तरीय कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी से अनुमोदित प्राप्त सूची का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक दिनांक 05.03.2019 में अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

अतः जिला स्तरीय कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी से अनुमोदित सूची अनुसार चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना मय जियो–टैगिंग ''आवास प्लस ऐप'' पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक 07.03.2019 से पूर्व ही अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि